भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2309

सोमवार, 3 अगस्त, 2026 / 12 श्रावण, 1948 (शक)

औद्योगिक कामगारों से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण

†2309.श्री सु. वेंकटेशनः

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सूचित औद्योगिक दुर्घटनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है और इनके कारण हुई मौतों एवं घायलों की संख्या कितनी है;

(ख) सुरक्षा नयाचार के उल्लंघन, वैधानिक नियमों के गैर-अनुपालन, सुरक्षा उपकरण प्रदान न करने, प्रबंधन की लापरवाही, मानवीय त्रुटियों या इससे जुड़े किसी अन्य कारण से हुई ऐसी दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी ठहराए गए उद्योगों, ठेकेदारों, प्रतिष्ठानों आदि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध जुर्माना लगाना, लाइसेंस का निलंबन/रद्दीकरण, काली सूची में डालना आदि सहित क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने मौजूदा सुरक्षा कानूनों के बावजूद बार-बार होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने देशभर में औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने, कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योगों में सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए कोई उपाय प्रस्तावित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने कारखानों सहित विभिन्न स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाओं तथा उनसे संबंधित अथवा उनके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संहिता, 2020 अधिनियमित की है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हो चुकी है। केंद्र सरकार ने दिनांक 08.05.2026 को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 भी अधिसूचित किए हैं।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संहिता, 2020 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, जोखिम भरी प्रक्रियाओं, दंड तथा प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत उपबंध किए गए हैं। उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संहिता, 2020 के अधीन पंजीकृत कारखानों के अधिष्ठाता तथा प्रबंधक द्वारा संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित है। तत्संबंधी किसी भी उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संहिता, 2020 के अधीन अधिसूचित मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता अथवा निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता संबंधित कारखाने के अधिष्ठाता तथा प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु प्राधिकृत हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीओएसएच) द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 [जो अब उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत समाहित है] के अधीन पंजीकृत कारखानों में कार्यरत कामगारों की दुर्घटना में हुई मृत्यु तथा चोटों से संबंधित आंकड़े राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से संकलित किए जाते हैं। दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में ऊँचाई से गिरना, आग, विस्फोट, यांत्रिक शक्ति से संचालित मशीनरी, विद्युताघात, गिरती हुई वस्तुओं से चोट लगना आदि शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2015 से 2024 के दौरान कारखानों में हुई प्राणघातक तथा गैर-प्राणघातक चोटों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्नक-I तथा संलग्नक-II में दिया गया है। वर्ष 2022 से 2024 के दौरान पंजीकृत कारखानों के संबंध में शुरू किए गए अभियोजनों, प्राप्त दोषसिद्धियों तथा अधिरोपित शास्तियों का ब्यौरा संलग्नक-III में दिया गया है।

संलग्नक-I

"औद्योगिक कामगारों से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण" के संबंध में श्री सु. वेंकटेशन और श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

पंजीकृत कारखानों में जानलेवा चोटों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा (2015 - 2024)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	68	68	68	61	72	66	65	76	71	59
3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	#	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	8	12	10	12	4	10	4	8	9	8
5	बिहार	10	11	17	21	8	12	17	4	4	12
6	चंडीगढ़	#	1	1	#	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	74	81	72	91	86	84	82	78	74	119
8	दादर एवं नगर हवेली	12	15	16	25	9	5	#	#	#	#
9	दिल्ली	6	10	37	5	6	9	6	36	6	21
10	गोवा	8	3	5	3	3	6	2	5	6	5
11	गुजरात	206	272	229	263	216	212	235	240	221	188
12	हरियाणा	41	67	49	45	26	35	14	22	19	37
13	हिमाचल प्रदेश	4	9	14	9	9	8	2	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	#	1	#	#	2	2	2	3	3	#
15	झारखंड	29	21	17	18	21	16	26	23	26	21
16	कर्नाटक	72	54	49	85	69	45	46	43	53	60
17	केरल	20	18	16	22	29	14	12	9	22	20
18	लद्दाख	–	–	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	44	30	30	22	44	26	30	36	33	35
21	महाराष्ट्र	145	150	137	142	145	154	180	178	190	157
22	मणिपुर	#	#	#	#	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	मेघालय	#	2	3	4	1	1	1	3	2	शून्य
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	शून्य	शून्य	#	शून्य	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	ओडिशा	55	46	52	42	32	47	36	54	54	47
27	पुदुचेरी	5	2	3	5	5	1	4	5	4	3
28	पंजाब	21	23	20	16	64	28	#	9	37	#
29	राजस्थान	33	15	31	32	32	23	19	32	25	46
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	87	104	71	84	122	114	147	117	184	153
32	तेलंगाना	57	63	70	43	56	51	50	60	65	71
33	त्रिपुरा	4	1	#	2	#	#	2	2	1	1
34	उत्तर प्रदेश	39	46	58	48	46	66	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	21	10	9	15	20	15	6	19	18	9
36	पश्चिम बंगाल	38	54	#	39	#	#	#	#	#	59
कुल		**1107**	**1189**	**1084**	**1154**	**1127**	**1050**	**988**	**1062**	**1127**	**1131**

आंकड़े का स्रोत: डीजीओएसएच द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त किए गए आंकड़े।

* इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कोई रजिस्टर्ड फ़ैक्टरी नहीं है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आंकड़ों की सूचना नहीं दी गई।

संलग्नक-II

"औद्योगिक कामगारों से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण" के संबंध में श्री सु. वेंकटेशन और श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

पंजीकृत कारखानों में गैर-प्राणघातक चोटों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा (2015 - 2024)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	46	70	69	39	43	57	41	39	30	18
2	आंध्र प्रदेश	78	247	103	182	154	62	60	95	75	88
3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	40	41	54	35	21	19	40	38	22	26
5	बिहार	188	184	80	67	52	22	14	14	24	25
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	4	2	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	छतीसगढ	50	56	84	67	65	117	117	77	71	80
8	दादर एवं नगर हवेली	58	39	30	50	49	29	#	#	#	#
9	दिल्ली	20	26	37	26	23	4	19	47	9	23
10	गोवा	71	56	52	36	26	32	29	33	41	24
11	गुजरात	1516	1169	1189	1036	718	560	621	653	497	574
12	हरियाणा	39	40	38	27	47	33	24	48	40	56
13	हिमाचल प्रदेश	23	31	27	13	23	18	15	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	14	2	1	1	5	1	3	20	67	#
15	झारखंड	115	69	59	52	42	38	35	41	41	38
16	कर्नाटक	612	464	358	363	414	215	27	254	264	338
17	केरल	326	158	236	145	122	79	117	67	62	68
18	लद्दाख	–	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	348	358	268	265	299	242	258	269	205	224
21	महाराष्ट्र	1471	1352	1167	1292	1089	778	793	819	818	881
22	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	मेघालय	1	1	3	5	2	3	शून्य	3	1	5
24	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	#	शून्य	#
25	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	ओडिशा	167	169	136	46	40	48	35	47	97	101
27	पुदुचेरी	16	20	35	53	32	26	30	22	34	15
28	पंजाब	100	115	117	85	83	40	#	23	32	#
29	राजस्थान	571	133	343	259	188	81	141	91	142	146
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	327	344	192	205	206	120	288	205	243	317
32	तेलंगाना	39	56	117	45	57	98	65	51	118	110
33	त्रिपुरा	3	3	शून्य	6	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	1
34	उत्तर प्रदेश	57	63	52	62	79	69	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	21	44	15	41	47	41	31	49	48	48
36	पश्चिम बंगाल	13940	57	#	23	#	#	#	#	#	45
कुल		**20257**	**5367**	**4866**	**4528**	**3927**	**2832**	**2803**	**3006**	**2981**	**3251**

आंकड़े का स्रोत: डीजीओएसएच द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त किए गए आंकड़े।

* इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कोई रजिस्टर्ड फ़ैक्टरी नहीं है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आंकड़ों की सूचना नहीं दी गई।

संलग्नक III

"औद्योगिक कामगारों से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण" के संबंध में श्री सु. वेंकटेशन और श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-क के अंतर्गत अभियोजन एवं दोषसिद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2022					
		अभियोजनों की संख्या			अभियोजनों की संख्या	अधिरोपित शास्ति	
		विगत वर्ष से लंबित	इसी वर्ष से शुभारंभ	इसी वर्ष लिए गए निर्णय		कारावास	कुल लगाया गया जुर्माना
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1925	269	168	137	#	2526000
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	22	26	#	#	#	#
5	बिहार	273	34	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छतीसगढ	457	238	238	144	#	19198000
8	दादर एवं नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	220	30	49	49	#	614000
10	गोवा	22	2	2	1	#	50000
11	गुजरात	14619	2806	3890	1497	#	22444000
12	हरियाणा	6814	4787	3256	1946	#	10924200
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	41	13	#	#	#	#
15	झारखंड	412	33	2	#	#	#
16	कर्नाटक	613	194	155	86	10	3311100
17	केरल	216	22	45	37	#	811000
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2267	118	44	#	#	3069000
21	महाराष्ट्र	2546	481	457	377	#	14526000
22	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
23	मेघालय	#	#	#	#	#	#
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
26	ओडिशा	2740	80	4	#	#	#
27	पुदुचेरी	6	1	1	#	#	90000
28	पंजाब	100	12	10	9	#	172500
29	राजस्थान	325	20	13	4	#	15000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	7906	2688	1872	1858	#	23124250
32	तेलंगाना	2704	182	111	62	#	2605000
33	त्रिपुरा	8	4	4	2	#	90000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	13	19	19	#	#	#
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**44249**	**12059**	**10340**	**6209**	**10**	**103570050**

आंकड़े का स्रोत: डीजीओएसएच द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त किए गए आंकड़े।

* इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कोई रजिस्टर्ड फ़ैक्टरी नहीं है।

राज्यों द्वारा आंकड़ों की सूचना नहीं दी गई/शून्य आंकड़े।

** कारखाना अधिनियम, 1948 को ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड 2020 में शामिल किया गया है।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-क के अंतर्गत अभियोजन एवं दोषसिद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2023					
		अभियोजनों की संख्या			अभियोजनों की संख्या	अधिरोपित शास्ति	
		विगत वर्ष से लंबित	इसी वर्ष से शुभारंभ	कारावास		कारावास	कुल लगाया गया जुर्माना
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	2019	279	183	185	#	2858500
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	122	26	#	#	#	#
5	बिहार	307	14	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	457	205	142	110	#	19158000
8	दादर एवं नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	201	23	53	53	#	648000
10	गोवा	17	4	6	4	#	71000
11	गुजरात	13535	3744	3516	2381	#	27046000
12	हरियाणा	7443	5122	2556	1426	#	9431500
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	54	3	3	3	#	2500
15	झारखंड	427	69	01	#	#	#
16	कर्नाटक	652	175	187	93	5	2928000
17	केरल	195	59	36	24	1	575996
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2386	88	54	#	#	6045000
21	महाराष्ट्र	2310	401	271	187	#	13448000
22	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
23	मेघालय	#	#	#	#	#	#
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
26	ओडिशा	2796	73	4	#	#	#
27	पुदुचेरी	5	6	11	#	#	692000
28	पंजाब	102	17	6	1	#	90000
29	राजस्थान	264	44	28	18	#	674000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	8770	2218	1886	1882	#	35982750
32	तेलंगाना	2463	228	130	118	9	2944500
33	त्रिपुरा	8	5	4	2	#	12000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	14	19	18	#	#	#
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**44547**	**12822**	**9095**	**6487**	**15**	**122607746**

आंकड़े का स्रोत: डीजीओएसएच द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त किए गए आंकड़े।

* इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कोई रजिस्टर्ड फ़ैक्टरी नहीं है।

राज्यों द्वारा आंकड़ों की सूचना नहीं दी गई/शून्य आंकड़े।

** कारखाना अधिनियम, 1948 को ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड 2020 में शामिल किया गया है।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-क के अंतर्गत अभियोजन एवं दोषसिद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2024					
		अभियोजनों की संख्या			अभियोजनों की संख्या	अधिरोपित शास्ति	
		विगत वर्ष से लंबित	इसी वर्ष से शुभारंभ	कारावास		कारावास	कुल लगाया गया जुर्माना
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1759	342	228	165	0	5256000
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	#	12	#	#	#	#
5	बिहार	321	16	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	518	373	118	117	0	9713500
8	दादर एवं नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	171	41	55	55	0	208000
10	गोवा	20	2	1	1	0	100000
11	गुजरात	13250	3993	3231	2988	#	26289721
12	हरियाणा	8550	4019	3005	1608	0	10268500
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	#	#	#	#	#	#
15	झारखंड	513	15	0	0	0	0
16	कर्नाटक	638	178	138	97	0	2685003
17	केरल	213	25	45	26	0	887000
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2420	145	60	0	0	3774000
21	महाराष्ट्र	2753	772	400	239	0	10996000
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	2865	83	2	0	0	0
27	पुदुचेरी	0	4	4	0	0	706050
28	पंजाब	#	#	#	#	#	#
29	राजस्थान	295	23	32	13	0	857000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	9102	4335	2566	2565	0	5027940
32	तेलंगाना	2880	453	310	69	0	2205000
33	त्रिपुरा	10	9	5	5	0	38000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	15	5	16	0	0	100000
36	पश्चिम बंगाल	402	50	16	16	0	940000
कुल		**46695**	**14895**	**10232**	**7964**	**0**	**80051714**

आंकड़े का स्रोत: डीजीओएसएच द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त किए गए आंकड़े।

* इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कोई रजिस्टर्ड फ़ैक्टरी नहीं है।

राज्यों द्वारा आंकड़ों की सूचना नहीं दी गई है/शून्य आंकड़े।

** कारखाना अधिनियम, 1948 को ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड 2020 में शामिल किया गया है।
